ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2576
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गुजरात में पीएमएवाई-जी

2576. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वित्त वर्ष 2024-25 में गुजरात के आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्मित घरों की संख्या कितनी

(ख) अभिसरण के तहत प्रदान किए गए शौचालयों और एलपीजी कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मोबाइल निरीक्षण ऐप्स के माध्यम से गुणवत्ता निगरानी के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क): वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गुजरात के आकांक्षी जिलों में निर्माण किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) मकानों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गुजरात में आकांक्षी जिलों के नाम	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निर्मित मकनों की संख्या (लक्ष्य वर्ष से इतर)
1	दाहोद	2419
2	नर्मदा	1474

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत प्रति आवास 1.2 लाख रुपये की इकाई सहायता के अलावा , स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) या वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ समन्वय के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा , मनरेगा योजना के साथ समन्वय में पीएमएवाई-जी लाभार्थी को अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान दरों पर 90/95 अकुशल श्रम दिवस मजदूरी रोजगार की सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। पीएमएवाई-जी परिवारों को पाइप पेयजल , तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) , नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी प्रदान किया जाता है और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ समन्वय के माध्यम से निर्माण सामग्री भी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत समन्वय में बेहतर आजीविका के अवसरों का पता लगाने के लिए एनआरएलएम के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के तहत पीएमएवाई-जी परिवारों की महिला सदस्यों को शामिल करना भी शामिल है।

गुजरात राज्य में , योजना की शुरुआत से अब तक पीएमएवाई-जी आवासों के साथ 5,79,467 शौचालयों का निर्माण किया गया है और 5,86,076 एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ग) पीएमएवाई-जी की निगरानी, एमआईएस यानी आवाससॉफ्ट और आवासऐप में समग्र लेन-देन संबंधी डेटा के लिए वर्कफ़्लो-सक्षम ऊर्जा का उपयोग करके प्रगति की वास्तविक समय पर रिकॉर्डिंग के माध्यम से की जाती है। पीएमएवाई-जी के तहत , लाभार्थी द्वारा स्वयं या उसकी देखरेख में आवास का निर्माण किया जाता है। पीएमएवाई-जी के तहत , आवासों के बेहतर डिज़ाइन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र लागू हैं:
(i) लाभार्थियों के आवास निर्माण में सहायता प्रदान की जा रही है , जिसमें आपदा प्रतिरोधी विशेषताओं सहित विभिन्न प्रकार के आवास डिजाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं , जो उनकी स्थानीय भू-जलवायु परिस्थितियों, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और निर्माण सामग्री की उपलब्धता के अनुकूल हैं। लाभार्थियों द्वारा चयन के लिए आवास+ 2024 मोबाइल ऐप में आवास डिजाइन के 3डी डिजाइन उपलब्ध कराए गए हैं।

(ii) मंत्रालय ने ग्रामीण आवास प्रकारों का एक संग्रह "पहल" प्रकाशित किया है जो पीएमएवाई-जी की कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने आवास ऐप के माध्यम से लाभार्थियों को आदर्श आवास डिज़ाइन की अनुशंसा के लिए पहल को डिजिटल बनाने के उपाए किए है।

(iii) मंत्रालय ने आवास सखी नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थियों को आवास डिज़ाइन प्रकारों की उपलब्धता , स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बीआईएस प्रमाणित निर्माण सामग्री और ग्रामीण राजमिस्त्रियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है।

(iv) मंत्रालय ने दिनांक 24.06.2024 के पत्र के माध्यम से तथा समीक्षा बैठकों के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे लाभार्थियों को यथासंभव बीआईएस-प्रमाणित (आईएसआई चिह्नित) निर्माण सामग्री खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें।

(v) मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सहयोग से दिसंबर , 2024 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया , ताकि उन्हें आवास क्षेत्रों से संबंधित भारतीय मानकों और बीआईएस द्वारा विकसित उपकरणों और प्लेटफार्मों के बारे में जागरूक किया जा सके , जिनका उपयोग वे पीएमएवाई-जी के तहत आवासों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं।

(vi) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी की प्रगति की निगरानी के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों की निगरानी के लिए एरिया ऑफिसर ऐप का भी उपयोग किया जा रहा है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2576
TO BE ANSWERED ON – 05/08/2025

PMAY-G in Gujarat

2576. Shri Dhaval Laxmanbhai Patel: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of number of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY-G) houses completed in aspirational districts of Gujarat in Financial Year 2024–25;
(b) the details of toilets and LPG connections provided under convergence; and
(c) the initiatives taken for quality monitoring through mobile inspection apps?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DR CHANDRA SEKHAR PEMMASANI)

(a): The details of number of Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin (PMAY-G) houses completed in the aspirational districts of Gujarat during the Financial Year 2024–25 are as under:

Sl No.	Name of the Aspirational Districts in Gujarat	Number of houses completed during the FY 2024-25 (irrespective of target year)
1	DOHAD	2419
2	NARMADA	1474

(b) In addition to the unit assistance of Rs 1.2 lakh per house provided under the PMAY-G, assistance of Rs.12,000/- is also extended for construction of toilets through convergence with Swachh Bharat Mission – Gramin (SBM-G), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) or any other dedicated source of funding. Further, it is mandatory to provide support of 90/95 person days unskilled wage employment at the current rates to a PMAY-G beneficiary for construction of his /her house in convergence with MGNREGS. The PMAY-G households are also provided piped drinking water, Liquefied Petroleum Gas (LPG), renewable energy source and building material is also provided through convergence with different government programmes. Convergence under the scheme also involves inclusion of women members of PMAY-G households under the fold of Self Help Groups (SHGs) through NRLM to explore better livelihood opportunities.

In the state of Gujarat, 5,79,467 toilets have been constructed and 5,86,076 LPG connections have been provided in convergence with PMAY-G houses since inception of the scheme.

(c) Monitoring of PMAY-G is done through real time capture of progress using workflow enabled ene to end transactional data in MIS i.e. AwaasSoft and AwaasApp. Under PMAY-G, the house is constructed by the beneficiary himself/herself or under his/her supervision. Under PMAY-G, the following mechanism is in place to ensure the better design and quality of houses:

(i) The beneficiaries are being assisted in house construction with a bouquet of house design typologies inclusive of disaster resilient features that are suitable to their local geoclimatic conditions, cultural preferences and availability of construction materials. 3D designs of house design typologies have been made available in the Awaas+ 2024 Mobile app for selection by the beneficiaries.

(ii) The Ministry has published a compendium of rural housing typologies "PAHAL" which is available on the program website of

PMAY-G. The Ministry has taken an initiative to digitize PAHAL to recommend ideal housing design to beneficiary through Awaas App.
(iii) The Ministry has also developed a mobile application namely Awaas SAKHI. Through this App beneficiaries are also provided information regarding availability of house design typologies, locally available BIS certified construction material and rural masons.

(iii) The Ministry has requested all the States/UTs through letter dated 24.06.2024 and during review meetings, to issue direction to officials concerned to encourage and orient beneficiaries as far as possible, to procure BIS-certified (ISI marked) construction material.

(iv) The Ministry in collaboration with Bureau of Indian Standards (BIS) organised Capacity Building Programme for senior officials of Rural Development Department of States/UTs in December, 2024 to sensitize them on the Indian Standards relevant to housing sectors, and about tools and platforms developed by BIS which they can leverage upon for ensuring quality construction of houses under PMAY-G.

(v) The Area Officer App is also being used under PMAY-G for monitoring visits performed by officials to monitor progress of PMAY-G at ground level.

****